Title: Need to include ""Kurmi"" caste in Jharkhand in the category of STs-Laid.

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : तत्कालीन बिहार की दक्षिण भाग और वर्तमान झारखंड की कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में 1932 से पूर्व रखा गया था और पटना हाई कोर्ट ने 1963 में भी इस जाति को अति पिछड़ा आदिवासी माना था, किंतु 1965 में आदिवासी हटाने के लिए अनेक्सर एक में डाला था। झारखंड की कुर्मी जाति का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं रहन-सहन बिल्कुल आदिवासी लोगों जैसा है और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। जंगलों से अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य पेशा खेती है। इसी कारण कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में रखा गया है। जब से झारखंड में आदिवासी रहते हैं तभी से वहां कुर्मी रहते हैं इसी कारण इनका सब कुछ आदिवासी की तरह है किसी बात पर कोई अंतर नहीं है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि झारखंड की कुर्मी जाति को आदिवासी श्रेणी में रखा जाये जिससे वे लोग अपना सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से कर सकें।

* Treated as Laid on the Table of the House.